न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 52/2017 दायरा दिनांक : 17.14.2017

उनवान

1— रंगलाल पुत्र धूलीलाल, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— गुडकीलाल आत्मज धूलीलाल, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— कालूलाल आत्मज श्री कंवरिया, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— मदनलाल पुत्र कंवरिया, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— बाबूलाल पुत्र कंवरिया, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— रमेश चन्द आत्मज धूलीलाल, जाति मीना, निवासी खेरखेडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 26.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 68/दावा/2016

निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 4 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 पेश कर कथन किया कि ग्राम खेरखेडा के खाता संख्या 30 की खसरा नम्बर 39 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल 4 किता की 3 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है । वादीगण द्वारा 6 – 7 वर्ष पूर्व आराजी प्रतिवादीगण को पांति काश्त पर दी थी । दो वर्ष से प्रतिवादी ने पांति की फसल देना बन्द कर दिया और आराजी पर जबरन कब्जा कर रखा है । प्रतिवादीगण का यह कब्जा बहेसियत अतिक्रमी है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की है और दिनांक 30.11.2016 को दावा स्वीकार कर बेदखली की डिक्री पारित की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि सम्मन की विधिवत रूप से तामील नहीं करवायी गयी है । एक तरफा निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है । वादग्रस्त आराजी 5000/– रूपये में अपीलांट के यहां सन् 1985 में गिरवी रखी थी उसके पश्चात 30,000/– रूपये लेकर आराजी का बेचान अपीलांट को कर दिया था तब से आराजी पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है । धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा अवधि बाधित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2017 को पेश किया । नकल मिलने के बाद पैसों का इंतजाम किया । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा डिक्री किया है । अपीलांटगण की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गयी है । वादग्रस्त आराजी सन् 1985 से अपीलांटगण के कब्जे काश्त में है । । दावा मियाद बाहर है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में सी पी सी आर्डर 5 नियम 18 सी पी सी पेज 198, आर एल डब्ल्यू 2006 (1) पेज 458 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 एक्जीविट पी 1 सलंग्न है जिसमें वादीगण के खाते

में कुल 10 किता की 21 बीघा 12 बिस्वा आराजी दर्ज है । इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं है । वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है जो पत्रावली में सलंग्न है । प्रतिवादीगण की तामील का अवलोकन किया गया । रंग लाल की तामील रमेश चन्द को किया जाना अंकित है परन्तु गवाह के पूर्ण नाम पते अंकित नहीं हैं । तहसील का पृष्ठांकन भी अंकित नहीं है । गुडकी लाल की तामील भी रमेश चन्द भाई को किया जाना अंकित है इसमें भी गवाह के पूर्ण नाम और पता तथा तहसील का पृष्ठांकन अंकित नहीं है । इस प्रकार अपीलांटगण की तामील विधि सम्मत रूप से नहीं करवायी गयी है । न्याय हित में इस प्रकरण में अपीलांटगण को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा